(राजस्व वाद संख्या :– 124/2016 अनवान दलीप कुमार बनाम स्टेट)
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत दुल्लापुर केरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 124/2016

1. दलीप कुमार पुत्र श्री मामराज जाति जाट निवासी चक 11 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ रास्थान जरिये तहसील श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री प्रदीप कुमार सिहाग अधिवक्ता — वादी
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19.06.2017

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी चक 11 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 19, 20, 23 ता 25 में 15 बिस्वा भूमि का खातेदार पुरानें समय से चला आ रहा है जो आज तक निरन्तर वादी के कब्जा कश्त में है लेकिन रिकार्ड में सम्वत् 2026 से 2035 से पूर्व यह भूमि गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज हो गई जबकि सम्वत् 2026 से 2035 में बन्दोबस्त के दौरान उक्त रकबा वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो गया।

सम्वत् 2026 से पूर्व जो गैर मुमकिन रास्ता वादी की 15 बिस्वा भूमि रिकार्ड में दर्ज हुआ उक्त इन्द्राज के कारण वादी के खिलाफ तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम का नोटिस देकर उक्त भूमि का सम्वत् 2026 से लगातार नाजायज काश्त अतिक्रमण कर रखा है जिससे बेदखल करनें हेतु तहसीलदार साहब नें कार्यवाही प्रारम्भ की और पटवारी हल्का नें उक्त विवादित भूमि 15 बिस्वा भूमि में खड़ी फसल का कुन्ता कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जबाब वादी नें तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया और उक्त भूमि का अपनें आपको खातेदार बतलाया इस तथ्य को प्रकरण संख्या 2/2002 अनवान सरकार बनाम दलीप कुमार अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही दिनांक 18.04.2002 को निर्णय करते हुए वादी के खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिया और कार्यवाही समाप्त कर दी जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है।

वादी चक 11 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 19, 20, 23, ता 25 में 15 बिस्वा कृषि भूमि सम्वत् 2026 से 2035 में हुई बन्दोबस्त में खातेदारी दर्ज है लेकिन वर्तमान समय में सम्वत् 2026 से पूर्व में उक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज थी जिसका विवरण देकर इसी चक के काश्तकार अनावश्यक रूप से वादी के साथ झगड़ा करते है इसलिये वादी उक्त भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपनें नाम खातेदारी का अंकन जरिये घोषणा करवानें का कानूनन अधिकारी है।

तहसीलदार को वादी नें कई बार उक्त 15 बिस्वा का अंकन वादी के नाम खातेदारी करनें का निवेदन किया परन्तु तहसीलदार श्रीगंगानगर वाला सक्ष्म न्यायालय में दावा प्रस्तुत करनें की राय देते हुए दिनांक 15.06.2016 को स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही दावा प्रस्तुत करनें का वादी को वाद हेतुक प्राप्त है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार आदेशित एवम् आज्ञाप्ति किया जावे :–

1. इस अमर की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी जारी की जावे कि वादी चक 11 एल. एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 19, 20, 23 से 25 की 15 बिस्वा भूमि का खातेदार है और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे
2. वाद व्यय वादी को प्रतिवादी को दिलाया जावे।
3. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में उचित समझे प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी की और से राज पैरोकार द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद पत्र को साबित करनें का भार वादी पर है अगर वादी साक्ष्य एवम् दस्तावेज से सबूत के द्वारा सिद्ध करे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। राज्य हित को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को को आपत्ति नहीं होगी। बाद सुनवाई निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा के उपरान्त निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :–

1. आया कि चक 11 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 19, 20, 23 ता 25 में 15 बिस्वा भूमि जरिये साक्ष्य सबूत राजस्व रिकार्ड में अंकन करवानें का अधिकारी है ? – – वादी
2. अनुतोष

तनकी नम्बर 1 को सिद्ध करनें का भार वादी था जिसको सिद्ध करनें के लिये वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप तहसीलदार द्वारा की गई धारा 22 व राजस्व अभिलेख पर प्रदर्श करवाये गये।

वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरान बहस कथन किया कि वादी के पास चक 11 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 30/26 के मुरब्बा नम्बर 47 में 4.894 हैक्टर भूमि खातेदारी है बाकी रकबा जो शेष है वह चक 17 एम.एल. में स्थित है। दोनो चकों की सीमाये साथ लगती है।

बन्दोबस्त से पूर्व राजस्व रिकार्ड में की स्थिति सम्वत् 2042 एवम् आज दिनांक की स्थित के अनुसार दोनों चकों में किलेवार योग करनें पर विभागीय लेखानुसार उल्लेखित भूमि दोनों चकों में पड़ती है। चक 11 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 19/.04, 20/.06, 23/.02, 24/.03, 25/.03 बिस्वा कुल 18 बिस्वा रकबा है, किला नम्बर 20 में 20 में 3 बिस्वा सड़क में काटा गया है यह रकबा डिफेन्स लाईन को सही करनें के लिये छोड़ा गया है जो कि वादी के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। उपरोक्त जमीन का कब्जा व रिकार्ड वादी के नाम से करीब 50 वर्षो से लगातार चला आ रहा है।। अब भी मौका पर वादी का कब्जा है।

चक 11 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बश्र 47 में किला नम्बर 19 व 20, 23 ता 25 में 15 बिस्वा रकबा राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा धारा

लगातार 3

22 का नोटिस दिया गया था जिसका वादी द्वारा जबाब पेश करनें पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा धारा 22 की कार्यवाही निरस्त की गई तथा पटवारी हल्का को आदेश दिये गये कि कुर्क व कुन्ता की गई फसल वादी खातेदार को सुपर्द की जावे जिसकी पालना पटवारी हल्का द्वारा की गई।

वादी उक्त जमीन का खातेदार है तथा वादी द्वारा किसी प्रकार से नाजायज कब्जा नहीं है और ना ही इस पर कोई रास्ता था इसलिये वादी उक्त भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपनें नाम खातेदारी का अंकन जरिये घोषणा करवानें का कानूनन अधिकारी है।

पैरोकार राज द्वारा कथन किया गया कि भूमि का अन्तर चकबन्दी के दौरान हुआ है अतः राज्य हित को मध्य नजर रखा जाकर निर्णय किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में फार्म नम्बर 3 के साथ दस्तावेज फील्ड बुक, मौजा 17 एम.एल. तहसील श्रीगगानगर निजामत सूरतगढ़ राज श्री बीकानेर, जमाबन्दी मुफस्सल मौजा 11 एल.एन.पी. तहसील गंगानगर राज श्री बीकानेर सम्वत् 1995 मिलान क्षेफल मौजा 11 एल.एन.पी. व 17 एम.एल. का अवलोकन किया गया जो कि वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश किये गये है। इन दस्तावेजात तथा पत्रवाली के अवलोकन के बाद पत्रावली में कायम की गई तनकी नम्बर 1 का निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

1. तनकी नम्बर 1 :– चक 11 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 19, 20, 23 ता 25 में 15 बिस्वा भूमि सम्वत् 2026 से पूर्व रास्ता दर्ज थी सम्वत् 2026 से 2035 में हुई बन्दोबस्त में खातेदारी दर्ज थी तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.2002 के अनुसार यह भूमि वर्तमान चालू राजस्व रिकार्ड में रकबा राज अथवा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं होनें से उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही समाप्त की गई है तथा लगातार वादी का कब्जा उक्त भूमि पर होनें कारण इस तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के पक्ष में होनें के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत चकबन्दी के दौरान हुई त्रुटि को शुद्ध करते हुए चक 11 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 19, 20, 23 ता 25 में 15 बिस्वा भूमि का वादी दलीप कुमार पुत्र श्री मामराज जाति जाट निवासी चक 11 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 19.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुल्लापुरकैरी के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर